संख्या:21/2016/2385जेएल/22-3-15-100(63)/2014

प्रेषक,

आर0के0 दिवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 19 जनवरी, 2016***

विषय: जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों-(1)बृजेन्द्र मिश्रा एवं (2)हरिओम उर्फ भुल्लन मिश्रा पुत्रगण श्री रामदत्त मिश्रा, निवासी जनपद-इटावा को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-23712/सामा-1(3)/फतेहगढ़ मं0/2014, दिनांक 20-07-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, इटावा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों-(1)बृजेन्द्र मिश्रा एवं (2)हरिओम उर्फ भुल्लन मिश्रा पुत्रगण श्री रामदत्त मिश्रा, निवासी जनपद-इटावा को केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ स्थानान्तरित किया जाता है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें। साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि यदि उक्त बंदियों को किन्हीं अन्य कारागारों में स्थानान्तरित करना चाहते है, तो औचित्यपूर्ण प्रस्ताव अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अविलम्ब उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या:21/2016/2385जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट, इटावा।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
3. अधीक्षक, जिला कारागार, इटावा/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 दिवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in